03.12.19

पत्रावली पेश हुई। वादी-वकील व प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी/वादी की ओर से उनके अधिवक्ता प्रार्थना-पत्र वाद विड्रा किये जाने पेश किया गया। प्रा.पत्र में प्रकरण में वाद [illegible] के संबंध में उभय-पक्ष में घर पर आपसी सहमति से वाद को नहीं चलाने का उल्लेख किया गया है।

वादी/प्रार्थी स्वयं न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुआ जिसकी पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गयी व पहचान पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गयी। शा. मिसल रहे। अवलोकन किया गया व मौखिक कथन वादी द्वारा करने पर मनन उपरांत प्रा.पत्र वाद विड्रा आंशिक स्वीकार करते हुये वादी को अपना न्यायालय में विचाराधीन वाद को विड्रा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

L. जा. सुरक्षा

Del. by

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम) जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2020.03.04 16:50:22 IST
Reason: SelfAttested